

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

"डी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

क्रमांक: एफ.4(31)SI&PF/ GIS/Deptt Audit/2016 39-46

दिनांक:-12-04-2022,

अतिरिक्त निदेशक,

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,

अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा,

उदयपुर, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय।

विषय :- साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत जिला कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न साधारण बीमा योजनाओं का आंतरिक अंकेक्षण करने बाबत अंकेक्षण टीम गठित करने, निरीक्षण प्रतिवेदन भिजवाने तथा निरीक्षण की पालना भिजवाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत जिला कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न साधारण बीमा योजनाओं का संलग्न तालिका के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण कार्यक्रम एवं अंकेक्षण दल का गठन निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया है। कृपया आंतरिक अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार अंकेक्षण दल के पदानुसार कार्मिकों के नाम निर्धारित कर तदनुसार संबंधित कार्यालय को भी सूचित किया जाकर अंकेक्षण कार्य किया जाना सुनिश्चित करावे एवं तदनुसार सूची इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

आंतरिक अंकेक्षण दल का गठन निम्न प्रकार किया जाना है:-

क्र. सं.	अंकेक्षण दल के कार्यालय का नाम	अंकेक्षण दल का पदनाम	अंकेक्षण दल का नाम व मोबाइल नंबर	जिला कार्यालय का नाम जिसका निरीक्षण(ऑडिट) किया जाना है-	आंतरिक अंकेक्षण की दिनांक
1.		उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक			
2.		सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय में से कोई एक			
3.		पर्यवेक्षक			
4.		वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक			

आंतरिक अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण दल निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाये।

आंतरिक अंकेक्षण उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन की पालना रिपोर्ट जो जिला कार्यालयों द्वारा भिजवायी जाएगी उसकी सम्बन्धित संभाग स्तर पर समीक्षा की जाकर पैरा वाईज पालना की अनुशंसा कर अपनी अभियुक्ति सहित पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी जाए।

आंतरिक अंकेक्षण कार्य की जाँच इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जाएगी। जिससे अंकेक्षण कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे।

संलग्न:- अंकेक्षण कार्यक्रम।

(सुनील बसल)

अतिरिक्त निदेशक

साबीनि जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक: एफ.4(31)SI&PF/ GIS/Deptt Audit/2016

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।

2. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर को भिजवाकर अनुरोध है कि इस अंकेक्षण कार्यक्रम को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय..... को अंकेक्षण कार्यक्रम भिजवाकर लेख है कि आंतरिक अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार के अनुसार साधारण बीमा योजनाओं से संबंधित रिकार्ड व पत्रावलियां एवं सूचनाएं अंकेक्षण दल को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। एवं पूर्व में किये गये आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया अनुच्छेदों की अविलम्ब पालना भिजवाना सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी
साबीनि, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, पित भवन, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)

आंतरिक जांच निरीक्षण कार्यक्रम

क.सं.	जिला कार्यालय का नाम जिसका अंकेक्षण किया जाना है	निरीक्षण अवधि	निरीक्षण दिनांक	जिस जिला कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाना है	निरीक्षण किये जाने वाले कार्मिक के पद नाम
A	द्वितीयजन अजमेर				
1	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग अजमेर।	2014-20 2020-21	10.05.21 से 13.05.21	बीकानेर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग नागौर।	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	17.05.21 से 21.05.21	हनुमानगढ़	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग ब्यावर।	2019-20 2020-21	10.05.21 से 13.05.21	साबीनि कार्यालय जयपुर द्वारा	1. संयुक्त निदेशक जीपीए/एसएसआई/उप निदेशक जीआईएस/मैडिकल/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम में से कोई एक 3. कनिष्ठ लेखाकार 4. बीमा पर्यवेक्षक 5. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
4	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, टोंक	2019-20 2020-21	10.05.21 से 13.05.21	गंगानगर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक

5	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, भीलवाड़ा।	2019-20 2020-21	06.08.21 से 10.09.21	चुरू	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
B	दिलीजन भरतपुर				
1	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग मारवाड़ा।	2019-20 2020-21	17.05.21 से 21.05.21	कोटा	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग करौली।	2019-20 2020-21	17.05.21 से 21.05.21	झालावाड़	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग धौलपुर।	2019-20 2020-21	06.09.21 से 10.09.21	बांरा	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
4	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग सवाई माधोपुर।	2019-20 2020-21	20.09.21 से 24.09.21	बूंदी	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
C	दिलीजन बीकानेर				
1	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग बीकानेर।	2019-20 2020-21	20.09.21 से 24.09.21	टोंक	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक

2	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग हनुमानगढ़।	2019-20 2020-21	07.06.21 से 11.06.21	धार	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग चूरू	2019-20 2020-21	07.06.21 से 11.06.21	अजमेर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
4	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग श्रीगंगानगर।	2019-20 2020-21	13.08.21 से 17.08.21	नागौर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
D	हिबीजन जयपुर प्रथम				
1.	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग जयपुर ग्रामीण।	2019-20 2020-21	14.06.21 से 18.06.21	झुंझुनर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2.	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग सावित्रालय जयपुर।	2019-20 2020-21	13.08.21 से 17.08.21	दौसा	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग जयपुर शहर।	2019-20 2020-21	21.06.21 से 25.06.21	सीकर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
4	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग नई दिल्ली।	2019-20 2020-21	06.09.21 से 10.09.21	अलवर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक

E	हिबीजन जयपुर द्वितीय				
1	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग अलवर।	2019-20 2020-21	05.07.21 से 09.07.21	जयपुर शहर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग सीकर।	2019-20 2020-21	05.07.21 से 09.07.21	जयपुर ग्रामीण	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग दौसा।	2019-20 2020-21	05.07.21 से 09.07.21	नई दिल्ली	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
4	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग झुन्झुनू।	2019-20 2020-21	12.07.21 से 16.07.21	सचिवालय, जयपुर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
F	हिबीजन जोधपुर.				
1	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग जोधपुर शहर	2019-20 2020-21	12.07.21 से 16.07.21	झुंजारपुर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग जोधपुर ग्रामीण	2019-20 2020-21	12.07.21 से 16.07.21	बांसवाडा	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग जैसलमेर	2019-20 2020-21	19.07.21 से 23.07.21	चित्तौडगढ़	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक



4	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग बाढ़मेर	2019-20 2020-21	19.07.21 से 23.07.21	राजसमंद	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
5	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग पाली	2019-20 2020-21	19.07.21 से 23.07.21	प्रतापगढ़	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
6	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग सिरौही	2019-20 2020-21	10.08.21 से 13.08.21	उदयपुर शहर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
7	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग जालौर	2019-20 2020-21	10.08.21 से 13.08.21	उदयपुर ग्रामीण	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
G	हिबीजन कं.टा				
1	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग कोटा	2019-20 2020-21	10.08.21 से 13.08.21	सवाई माधोपुर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग बाराना	2019-20 2020-21	16.08.21 से 20.08.21	भरतपुर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग बूंदी	2019-20 2020-21	16.08.21 से 20.08.21	करौली	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक

(6)

4	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग झालावाड।	2019-20 2020-21	16.08.21 से 20.08.21	घोलपुर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
H	हिबीजन उदयपुर				
1	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग उदयपुर शहर	2017-18 से 2018-19 2019-20 2020-21	06.09.21 से 10.09.21	पाली	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
2	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग उदयपुर ग्रामीण	2019-20 2020-21	06.09.21 से 10.09.21	सिरौही	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
3	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग राजसमन्द	2019-20 2020-21	06.09.21 से 10.09.21	जालौर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
4	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग चित्तौड़गढ़	2019-20 2020-21	20.09.21 से 24.09.21	बाजमेर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
5	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग प्रतापगढ़	2019-20 2020-21	20.09.21 से 24.09.21	जोधपुर ग्रामीण	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
6	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग झारपुर	2019-20 2020-21	13.09.21 से 17.09.21	जैसलमेर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक



7	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. सि. विभाग बलियावाड़ा।	2018-20 2020-21	13.08.21 से 17.08.21	जोधपुर शहर	1. उप निदेशक/सहायक निदेशक में से कोई एक 2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार में से कोई एक 3. बीमा पर्यवेक्षक 4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक में से कोई एक
---	--	--------------------	-------------------------	------------	--

नोट :

- अतिरिक्त निदेशक सभाग कार्यालय द्वारा अंकेक्षण दल का गठन कर उसकी सूचना अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा निधि) राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर एवं संबंधित जिला कार्यालय को भिजवानी है। जिस जिला कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा, उसकी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन की दो प्रतियों में अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग साधारण बीमा निधि द्वितीय तल डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर को भिजवानी है।

भवदीय

21

(सुनील चन्द बंसल)
अतिरिक्त निदेशक
एवं कार्यालयाध्यक्ष
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
सा.बी.नि. वित्त भवन जयपुर(संज.)

02